न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/20/2018	2018/00092	10–05–2018	25–02–2021

01– जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भौरेलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बीजवाड़ नरूका तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

01– सीताराम पुत्र श्री भौरेलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बीजवाड़ नरूका तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

02– श्रीमती अंगूरी पुत्री श्री भौरेलाल जाति महाजन हाल निवासी केडल गंज, अलवर।

03– श्रीमती कमला पुत्री श्री भौरेलाल जाति महाजन निवासी ग्रम रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेड़ा इंतकाल संख्या 2133 आदेश दिनांक 01.07.2015

उपस्थितः–

01. श्री दाताराम गुप्ता –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 01.07.2015 जिसके द्वारा मृतका श्रीमती धप्पो देवी पत्नी श्री भौरेलाल का विरासत नामान्तरकरण संख्या 2133 वाके ग्राम बीजवाड़ तहसील मालाखेड़ा को अपीलांट व रैस्पो0 के नाम बहिस्से बराबर–बराबर तस्दीक किये जाने का आदेश बेजा व खिलाफ कानून फरमाया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आज्ञा मिन अपीलांट के बाला बाला इकतरफा में सादिर फरमाई गई है तथा कैम्प कोर्ट का भी कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिस कारण मिन अपीलांट को उक्त–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

आज्ञा की कोई जानकारी नहीं हो सकी। उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम मुझे मेरे भाई सीतारा ने दिनांक 18.12.2016 को दी और जाहिर किया कि माताजी का इंतकाल सभी के नाम हो चुका है। इसलिए वह अपने हिस्से की आराजी को बेचान करेगा। जिस पर मिन अपीलांट ने पता करके दिनांक 19.12.2016 को नकल का प्रा0पत्र पेश किया जिस पर बाद कानूनी सलाह आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश है एवं दिनांक 01.07.2015 से दि0 18.12.2016 तक का समय जानकारी के अभाव में व उसके कानून सलाह आदि करने में व्यस्त होने के कारण धारा 05 कानून मियाद के तहत कन्डोन फरमाने जाने योग्य है। जिसके लिए अलग से प्रा0पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पेश है। मृतका श्रीमती धप्पो देवी ने अपने जीवन काल में विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1005/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा,1011 रकबा 03 बीघा 9 बिस्वा, जिनका हाल नम्बर 2399 व 2400 कायम किया गया है, की अपने जीवनकाल में अपने पूर्ण होश हवास में एक वसीयतनामा दिनांक 27.06.1994 को तहरीर व तकमील करा दी और जिस वसीयतनामा पर उसने वसीयतनामा को सुन व सुझकर सही होना स्वीकार करते हुए अशोक शर्मा पुत्र श्री सोहनलाल शर्मा व गिर्राज गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद राय गुप्ता की मौजूदगी में अपने निशानी अंगूठा कर दिये और जिस वसीयतनामा को उक्त श्रीमती धप्पो देवी ने दिनांक 27.06.1994 को ही नोटेरी से प्रमाणित करा दिया। उक्त वसीयतनामा के जरिये उक्त श्रीमती धप्पों देवी ने यह घोषणा की थी कि वह स्वंय खातेदार काश्तकार रहेगी एवं उसके स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त आराजी तन्हा मिन अपीलांट को प्राप्त होगी और मिन अपीलांट तन्हा उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्तकार होगा। उक्त वसीयतनामा आज दिनांक तक प्रभावी है एंव श्रीमती धप्पो देवी ने अपने जीवनकाल में किसी प्रकार से निरस्त नहीं कराया है, की मौजूदगी में उपरोक्त आराजी का इन्तेकाल मिन अपीलांट के नाम स्वीकार करना चाहिए एवं मौके पर भी धप्पों देवी के स्वर्गवास के बाद मिन अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। रैस्पो0 01 व 02 का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। रैस्पो0 उक्त इंतकाल की आड में विवादित आराजी को बिना किसी हक व अधिकार के अन्य लोगों को मुन्तकिल व मकफूल आदि करने की कोशिश में है और धमकी देते है जिसका कानूनन उनको कोई अधिकार नहीं है एवं यदि ऐसा कर दिया गया तो मिन अपीलांट को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा। मिन अपीलांट तबाह व बरबाद हो जावेगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.07.2015 निरस्त फरमाया जाकर मृतका धप्पो देवी पत्नी श्री भौरेलाल जति महाजन निवासी बरखेड़ा का इन्तकाल विरासत मिन अपीलांट के नाम तस्दीक व स्वीकार किया जावें।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। रैस्पो0 01 लगा0 03 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दि0 01.07.2015 के विरूद्ध दि0 06.01.2017 को पेश की गयी है। जो करीब 06 माह के विलम्ब पेश की गयी है। प्रा0पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों का विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रथमदृष्ट्या अपीलांट द्वारा पेश अपील के तथ्यों व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय वसीयतनामा दिनांक 27.06.1994 पर विचार नहीं किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालाखेड़ा के इंतकाल सं0 2133 आदेश दिनांक 01.07.2015 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वसीयतनामा दिनांक 27.06.1994 का अवलोकन कर नियमों के आलोक में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होंकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

25/02/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)